समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 10 September 2026

15 फ़रवरी से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल दरों मे बंड़ी राहत

Publisher

Published on 14 Feb 2026

केंद्र सरकार ने **राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways)** और **राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे** पर टोल (यात्री शुल्क) के नियमों में बदलाव किया है, जो **15 फ़रवरी 2026** से लागू हो रहा है। इसके ज़रिये **टोल दरों मे रंाहत** मिलने की उम्मीद है और यात्रियों के लिए **सफर सस्ता और आसान** होगा।

क्या बदलाव हुआ है ?

? पहले यदि कोई **राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पूरा नहीं खुला था**, तब भी यात्रियों को उस हिस्से के लिए **25% अधिक (प्रिमियम) टोल** देना पड़ता था।
? अब नए नियम के तहत, अगर **एक्सप्रेसवे पूरी तरह operational (पूरी तरह खुला)** नहीं है, तो यात्रियों को **केवल उस हिस्से के लिए टोल देना होगा जो तैयार और चालू है**, और वो भी **साधारण राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) के टोल दर पर**, न कि एक्सप्रेसवे के ऊँचे दर पर।

कब तक लागू रहेगा बदलाव ?

– यह **नया नियम एक साल** तक या तब तक लागू रहेगा जब तक एक्सप्रेसवे **पूरी तरह operational नहीं हो जाता**, जो भी पहले हो।

क्यों किया गया यह बदलाव ?

सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों और **लॉजिस्टिक्स वाहनों** को लागत में राहत मिलेगी, और लोग नए खुले एक्सप्रेसवे के **चालू हिस्सों का उपयोग** ज़्यादा करेंगे। इससे पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों पर **भीड़ और ट्रैफ़िक जाम** कम होगा, जिससे **यातायात तेज़, लॉरी-बसों का तेज़ी से मूवमेटं** और **पर्यावरण मे धुंआ-प्रदूषण मे कंमी** आने की उम्मीद है।

यात्रियों के लिए फायदा

□□ अधूरे एक्सप्रेसवे पर अब **कम टोल लगेगा**।
□□ केवल उस हिस्से के लिए शुल्क, जो आशाजनक रूप से **तैयार और चालू है**।
□□ ट्रक, बस और कार चालक को **यात्रा लागत मे रंाहत** मिलेगी और सफर **ज़्यादा किफ़ायती** होगा।

इस बदलाव से उन लोगों को खास लाभ मिलेगा जो **निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे** के तैयार हिस्सों का उपयोग करते हैं, क्योंकि अब **महंगा प्रीमियम टोल** नहीं देना होगा जब तक एक्सप्रेसवे **पूरी तरह खुला नहीं है**।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.